बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषयः— **बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रधान/सह परीक्षकों तथा आयोग कार्यालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रविवार/अवकाश के दिन सामान्य दिनों की तरह पूरी कार्यालय-अवधि तक किये गये कार्यों के लिए पारिश्रमिक/मानदेय की दर में संशोधन/वृद्धि का प्रस्ताव।**

राज्य सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रधान/सह परीक्षकों तथा आयोग कार्यालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रविवार/अवकाश के दिन सामान्य दिनों की तरह पूरी कार्यालय-अवधि तक किये गये कार्यों के लिए पारिश्रमिक/ मानदेय की दर में निम्नवत् वृद्धि करने का निर्णय लिया है :—

(I) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित उत्तर-पुस्तिकाओं की जाँच करने वाले मुख्य परीक्षक/सह परीक्षकों के पारिश्रमिक/मानदेय में वृद्धिः—

क्र॰ सं॰	विषय/मद का विवरण	बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वर्तमान में भुगतान की जा रही दर	संशोधित दर
1.	A. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु (विषयनिष्ठ विषयों के) परीक्षक B. मुख्य परीक्षक	रूपये 50/— प्रति उत्तर पुस्तिका (समय का प्रतिबंध नहीं रहेगा।) I प्रति सह परीक्षक रूपये 400/— II मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के 15 प्रतिशत की पुनर्जाँच के लिए रु0 20/— प्रति उत्तर पुस्तिका III सह परीक्षकों के पारिश्रमिक की औसत राशि	रूपये 100/— प्रति उत्तर पुस्तिका (समय का प्रतिबंध नहीं रहेगा।) I प्रति सह परीक्षक रूपये 800/— II मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के 15 प्रतिशत की पुनर्जाँच के लिए रु0 40/— प्रति उत्तर पुस्तिका III सह परीक्षकों के पारिश्रमिक की औसत राशि
2.	C. सामान्य अध्ययन/सामान्य ज्ञान I परीक्षक के लिए	I रूपये 72/— प्रति उत्तर पुस्तिका (तीन परीक्षकों के बीच चौबीस-चौबीस रूपये की दर से खंडों में रहने पर) यदि एक ही परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्ताकाओं का मूल्यांकन किया जाता है तो रूपये 50/-- प्रति उत्तर पुस्तिका की दर से भुगतान किया जायेगा।	I रूपये 144/— प्रति उत्तर पुस्तिका (तीन परीक्षकों के बीच अड़तालिस-अड़तालिस रूपये की दर से खंडों में रहने पर) यदि एक ही परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्ताकाओं का मूल्यांकन किया जाता है तो रूपये 100/— प्रति उत्तर पुस्तिका की दर से भुगतान किया जायेगा।
3.	II मुख्य परीक्षक के लिए	II कॉलम 01 (B) के अनुसार	II कॉलम 01 (B) के अनुसार
4.	D परीक्षकों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक	I रूपये 1600/—(एक हजार छः सौ)	I रूपये 3200/—(तीन हजार दो सौ)

(II) आयोग-कार्यालय में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय-अवधि के पूर्व एवं बाद में तथा रविवार/ अवकाश के दिन सामान्य दिनों की तरह पूरी कार्यालय-अवधि तक कार्य करने की स्थिति में अनुमान्य मानदेय :-

क्र॰ सं॰	पदनाम	बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय द्वारा वर्तमान में भुगतान की जा रही दर	कार्यालय-अवधि के पूर्व एवं बाद में कार्य करने पर मानदेय की दर (यथावत)	रविवार एवं अवकाश के दिन सामान्य दिनों की तरह पूरी कार्यालय-अवधि तक कार्य करने की स्थिति में मानदेय की दर
1.	पदाधिकारी वरीय	रु॰ 1000/– प्रतिदिन	रु॰ 1000/– प्रतिदिन	रु॰ 1400/– प्रतिदिन
2.	प्रशखा पदाधिकारी एवं समकक्ष पदाधिकारी	रु॰ 700/– प्रतिदिन	रु॰ 700/– प्रतिदिन	रु॰ 980/– प्रतिदिन
3.	सहायक, तृतीय वर्ग कर्मचारी (चालक सहित)	रु॰ 500/– प्रतिदिन	रु॰ 500/– प्रतिदिन	रु॰ 700/– प्रतिदिन
4.	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	रु॰ 300/– प्रतिदिन	रु॰ 300/– प्रतिदिन	रु॰ 420/– प्रतिदिन

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–21/बी॰पी॰एस॰सी॰-06/2013 सा0प्र0.../पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, (ई-गजट शाख.) को दो प्रतियों में सी॰डी॰सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–21/ बी॰पी॰एस॰सी॰-06/2013 सा0प्र0. ..../पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–21/ बी॰पी॰एस॰सी॰-06/2013 सा0प्र0......1221......................../पटना, दिनांक 29-1-19

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, मत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, बिहार, पटना को राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 15.01.2019 के मद-संख्या-13 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत विभागीय प्रस्ताव के आलोक में/आई॰टी॰मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.1.19
सरकार के संयुक्त सचिव।

Sankhalp 45